

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-15/2009:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री केदार राम, तत्कालीन सहायक अभियंता को लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो में पदस्थापन अवधि में बरते गए अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प संख्या 4405 दिनांक 05.08.14 द्वारा उनके विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी।

2. गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर से की गयी।

3. सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री राम, तत्कालीन सहायक अभियंता को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2011

/राँची, दिनांक:- 17/07/14 /

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-02), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री केदार राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो, संप्रति सहायक अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर ऊँटारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

म.प.वि.

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-15/2009:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री जयकृष्ण शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता को लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो में पदस्थापन अवधि में बरते गए अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प संख्या 4404 दिनांक 05.08.13 द्वारा उनके विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43 बी. के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी।

2. गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर से की गयी।

3. सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2012

/राँची, दिनांक:- 17/07/14 /

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-02), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री जयकृष्ण शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो, सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, C/O श्रीमती आशा शर्मा, श्री कृष्णापुरी, जहानाबाद (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

-5/14
14/7/14

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8 / ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-15 / 2009:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री मोतीलाल प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता को लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो में पदस्थापन अवधि में बरते गए अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प संख्या 4399 दिनांक 05.08.14 द्वारा उनके विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी।

2. गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर से की गयी।

3. सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / -

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2013

/ राँची, दिनांक:- 17/07/14 /

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-03), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री मोतीलाल प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो, सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि यह पत्र वे श्री मोतीलाल प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त को तामिला करा दें।

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज.सं.
मि.प.मि

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8 / ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-15 / 2009:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री राजदेव राय, तत्कालीन कनीय अभियंता को लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो में पदस्थापन अवधि में बरते गए अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प संख्या 4408 दिनांक 05.08.14 द्वारा उनके विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी।

2. गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर से की गयी।

3. सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री राय, तत्कालीन कनीय अभियंता को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2014

/राँची, दिनांक:- 17/07/14 /

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-03), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री राजदेव राय, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो, संप्रति सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

14/07/14

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8 / ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-15 / 2009:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री ब्रजेश्वर सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता को लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो में पदस्थापन अवधि में बरते गए अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प संख्या 4400 दिनांक 05.08.14 द्वारा उनके विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी।

2. गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर से की गयी।

3. सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / -

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2015

/राँची, दिनांक:- 17/07/14 /

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-03), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री ब्रजेश्वर सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो, संप्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

म.सं.वि.

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आ0सं0-8/ज०सं०(नि०)ल.सिं.राँची-15/2009:- /राँची, दिनांक -

आदेश

श्री हरिवंश पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता को लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो में पदस्थापन अवधि में बरते गए अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प संख्या-4402 दिनांक-05.08.2013 द्वारा उनके विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

2. गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी।

3. सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता को आरोप मुक्त करते हुए, ^{उक्त} विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2016

/राँची, दिनांक:- 17/07/15

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-2) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ श्री हरिवंश पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो संप्रति स्वास्थ्य विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

18/7/15

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8 / ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-15 / 2009:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री उत्पल कुमार मुखर्जी, तत्कालीन सहायक अभियंता को लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो में पदस्थापन अवधि में बरते गए अनियमितताओं के लिए विभागीय संकल्प संख्या 4398 दिनांक 05.08.13 द्वारा उनके विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी।

2. गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर से की गयी।

3. सम्यक् समीक्षोपरान्त सरकार ने श्री मुखर्जी, तत्कालीन सहायक अभियंता को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / -

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2017

/राँची, दिनांक:- 17/07/14 /

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-02), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री उत्पल कुमार मुखर्जी, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो, सम्प्रति क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

17/07/14